

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12032025-261567
SG-DL-E-12032025-261567असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2025/फाल्गुन 20, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 442
No. 90]	DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2025/PHALGUNA 20, 1946	[N. C. T. D. No. 442

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 मार्च, 2025

फा.सं. 1/31/1131/एलसी/स्था0/भर्ती नियम/उप-निदेशक(आईएसएच)/2022/6771-6774.—

गृह

मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 06 अगस्त, 2010 की अधिसूचना संख्या फा0 1/31/404/एलसी/स्था0/06/2289 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से एतद् द्वारा श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप-निदेशक (औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को "उप-निदेशक (औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य) भर्ती नियमावली, 2024" कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग : ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
4. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. **अयोग्यता :-** वह व्यक्ति,
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
6. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
7. **बचाव :-** इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची-I

1.	पदनाम	:	उप-निदेशक (औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य)
2.	पदों की संख्या	:	04* (2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह-'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है/गैर-चयन पद	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	पदोन्नति वाले उम्मीदवारों के लिए 2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	:	पदोन्नति :- ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400/-रुपये) में सहायक-निदेशक (औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य) तथा उन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्धारित कम से कम 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों के अधीन अधिकारी :

		(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई 02 वर्षों की सेवा सहित अथवा समकक्ष; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई 04 वर्षों की सेवा सहित अथवा समकक्ष; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले:- i. अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी या चिकित्सा की किसी भी शाखा में डिग्री। ii. अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी के संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव। चिकित्सा में डिग्री के मामले में, सार्वजनिक अस्पताल या फ़ैक्ट्री मेडिकल विभाग में कम से कम दो वर्षों का अनुभव या औद्योगिक चिकित्सा में वैकल्पिक रूप में डिप्लोमा। मानक टीप : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	विभागीय पदोन्नति समिति – 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, रा0रा0क्ष0दि0स0 – सदस्य 3. संबंधित प्रशासनिक सचिव, रा0रा0क्ष0दि0स0 – सदस्य अथवा संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो – सदस्य विभागीय स्थायीकरण समिति– 1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह) – अध्यक्ष 2. संबंधित प्रशासनिक सचिव – सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (शह0वि0) – सदस्य

13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	पदोन्नति हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है।
-----	--	---	---

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय चांदना, उपायुक्त, श्रम (प्रशा०)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th March, 2025

F. No. 1/31/1131/LC/Estt./Rectt.Rules/DD(ISH)/2022/6771-6774.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. G.S. R. 840 dated 13th July, 1959, and in supersession of Notification No. F.1/31/404/LC/Estt./06/2289 dated 6th August, 2010 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Union Public Service is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Deputy Director (Industrial Safety & Health)** in the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement:

- These rules may be called the “Deputy Director (ISH)” Recruitment Rules, 2024.
- They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Application: These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix. - The number of post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.: The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.

5. Disqualifications: No person,

- Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax: Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons in consultation with UPSC.

7. Saving: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE—I

1.	Name of post	Deputy Director (Industrial Safety And Health)
2.	No. of Posts	04* (2024) * Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group ‘A’
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 (Rs. 56100-177500) in the Pay Matrix

5.	Whether selection post/ non- selection post	Selection Post
6.	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
9.	Period of Probation, if any	2 Years for promotee
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Promotion failing which deputation
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Promotion: Assistant Director (Industrial Safety & Health) in the Level-7 (Rs. 44900-142400) of Pay Matrix with 05 years regular service in the grade and having successfully completed at least 2 weeks training as prescribed by the Competent Authority. Deputation: Officers under the Central /State Government/ Union Territories: a) i. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or ii. with 2 years of service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-09 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or iii. with 4 years of service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-08 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and b) Possessing the following educational qualifications and experience:- i. Degree in any branch of Engineering, Technology or in Medicine. ii. At least 2 years practical experience in the relevant field of engineering or technology. In case of degree in medicine, at least two years experience in a Public Hospital or Factory Medical Department or alternately a diploma in Industrial Medicine. Standard Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of Deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization/ department of the

		Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Departmental Promotion Committee: 1.Chairman/ Member of the UPSC - Chairman 2.Chief Secretary, GNCT of Delhi - Member 3.Administrative Secretary concerned in the Govt. of NCT of Delhi - Member or Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Govt. of NCT of Delhi – Member. Departmental Confirmation Committee: 1. Addl. Chief Secretary (Home)/Pr. Secretary (Home)-Chairman 2. Administrative Secretary Concerned – Member 3. Special/Additional Secretary (UD) - Member
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for promotion.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
VIJAY CHANDNA, Dy. Labour Commissioner (Admn.)